

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, रिविलगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में शवदाह गृह निर्माण संबंधित कुल ₹270.22600 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख बाईस हजार छः सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

पटना, दिनांक-27/07/18

आदेश:- स्वीकृत।

दिनांक- 09.07.2018 से दिनांक- 10.07.2018 तक राज्य के सभी नगर निकायों की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में सभी नगर निकायों को शवदाह गृह निर्माण हेतु भूमि विवरणी के साथ प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया। विभाग द्वारा शवदाह गृह निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। नगर निगमों के लिए 02 Electric Furnace एवं 06 Pyre Conventional शवदाह गृह, नगर परिषदों के लिए 02 Electric Furnace एवं 04 Pyre Conventional शवदाह गृह तथा नगर पंचायतों के लिए 02 Pyre Conventional शवदाह गृह का प्रावधान है। यह भी निदेश दिया गया कि भूमि विवरणी के साथ नगर निकायों को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के पश्चात् इसके रख-रखाव तथा विद्युत विपत्र की राशि नगर निकाय वहन करेगा। इस संबंध में बैठक की कार्यवाही विभागीय ज्ञापक-3726, दिनांक- 17.07.2018 द्वारा निर्गत है।

2. उक्त निदेश के आलोक में नगर परिषद, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, रिविलगंज से शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में शवदाह गृह के निर्माण से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹270.22600 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख बाईस हजार छः सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नागरिक सुविधा मद से स्तम्भ- 05 के अनुरूप तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०-65 दिनांक-27/07/18 के आलोक में कुल ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद, सीतामढ़ी	नगर परिषद, सीतामढ़ी में 01 Electric Furnace का विद्युत शवदाह गृह निर्माण के संबंध में।	215.61600	53.90400	161.71200

2		नगर परिषद्, सीतामढ़ी में 04 Pyre Conventional शवदाह गृह का निर्माण।	30.16000	15.08000	15.08000
3	नगर पंचायत, रिविलगंज	नगर पंचायत, रिविलगंज में 04 Pyre Conventional शवदाह गृह का निर्माण।	24.45000	12.22500	12.22500
योग			270.22600	81.20900	189.01700

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र।

3. तालिका के क्रमांक- 01 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद् द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित कुल ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, रिविलगंज होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। तालिका के क्रमांक- 01 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद् द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से राशि बिहार राज्य जल पर्षद् को हस्तांतरित कर दी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

7. कुल आवंटित राशि ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) आवंटित कुल राशि ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 02 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹68.98400 लाख (अड़सठ लाख अन्ठानवे हजार चार सौ रु०) मात्र की निकासी/मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास,

✓

उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) आवंटित कुल राशि राशि ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 3 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹12.22500 लाख (बारह लाख बाईस हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) **तालिका के क्रमांक- 01 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद् द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।**

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के पश्चात् इसके रख-रखाव तथा विद्युत विपत्र की राशि नगर निकाय वहन करेगा।

(v) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(vi) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

8. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

८

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-07/2018

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

21.5:30pm
5/12

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब0/सडक0-09-07/2018

65

/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 27/07/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में शवदाह गृह निर्माण संबंधित कुल ₹270.22600 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख बाईस हजार छः सौ रु0) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु0) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

दिनांक- 09.07.2018 से दिनांक- 10.07.2018 तक राज्य के सभी नगर निकायों की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में सभी नगर निकायों को शवदाह गृह निर्माण हेतु भूमि विवरणी के साथ प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया। विभाग द्वारा शवदाह गृह निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। नगर निगमों के लिए 02 Electric Furnace एवं 06 Pyre Conventional शवदाह गृह, नगर परिषदों के लिए 02 Electric Furnace एवं 04 Pyre Conventional शवदाह गृह तथा नगर पंचायतों के लिए 02 Pyre Conventional शवदाह गृह का प्रावधान है। यह भी निदेश दिया गया कि भूमि विवरणी के साथ नगर निकायों को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के पश्चात् इसके रख-रखाव तथा विद्युत विपन्न की राशि नगर निकाय वहन करेगा। इस संबंध में बैठक की कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक- 3726, दिनांक- 17.07.2018 द्वारा निर्गत है।

2. उक्त निदेश के आलोक में नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, रिविलगंज से शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में शवदाह गृह के निर्माण से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹270.22600 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख बाईस हजार छः सौ रु0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नागरिक सुविधा मद से स्तम्भ- 05 के अनुरूप तत्काल कुल ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु0) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, सीतामढ़ी	नगर परिषद्, सीतामढ़ी में 01 Electric Furnace का विद्युत शवदाह गृह निर्माण के संबंध में।	215.61600	53.90400	161.71200

2		नगर परिषद, सीतामढ़ी में 04 Pyre Conventional शवदाह गृह का निर्माण।	30.16000	15.08000	15.08000
3	नगर पंचायत, रिविलगंज	नगर पंचायत, रिविलगंज में 04 Pyre Conventional शवदाह गृह का निर्माण।	24.45000	12.22500	12.22500
योग			270.22600	81.20900	189.01700

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. तालिका के क्रमांक- 01 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, रिविलगंज होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। तालिका के क्रमांक- 01 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से राशि बिहार राज्य जल पर्षद को हस्तांतरित कर दी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

5. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

7. कुल स्वीकृत राशि ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) स्वीकृत कुल राशि ₹81.20900 लाख (एकासी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 02 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹68.98400 लाख (अड़सठ लाख

१५

अन्तानवे हजार चार सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031920105**, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि राशि ₹81.20900 लाख (एकसी लाख बीस हजार नौ सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 3 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹12.22500 लाख (बारह लाख बाईस हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031930104**, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) **तालिका के क्रमांक- 01 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद् द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।**

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के पश्चात् इसके रख-रखाव तथा विद्युत विपत्र की राशि नगर निकाय वहन करेगा।

(v) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(vi) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/सड़क०-09-07/2018 के पृष्ठ सं०-.....19...../टि० पर दिनांक-26/09/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....20...../टि० पर दिनांक-26/09/2018 को प्राप्त है ।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

12. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं संबंधित नगर पंचायत, रिलिवलगंज/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27-09-18

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-07/2018 65 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-27/09/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं संबंधित नगर पंचायत, रिलिवलगंज/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27-09-18

सरकार के विशेष सचिव ।

27/09/18